



मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2016-17

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2017



माननीया मंत्री जी, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की समीक्षा



वर्ष 2016-17 में राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में
म.प्र. लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु
प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रशिक्षणार्थी



मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2016-17



प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

अनुक्रमणिका

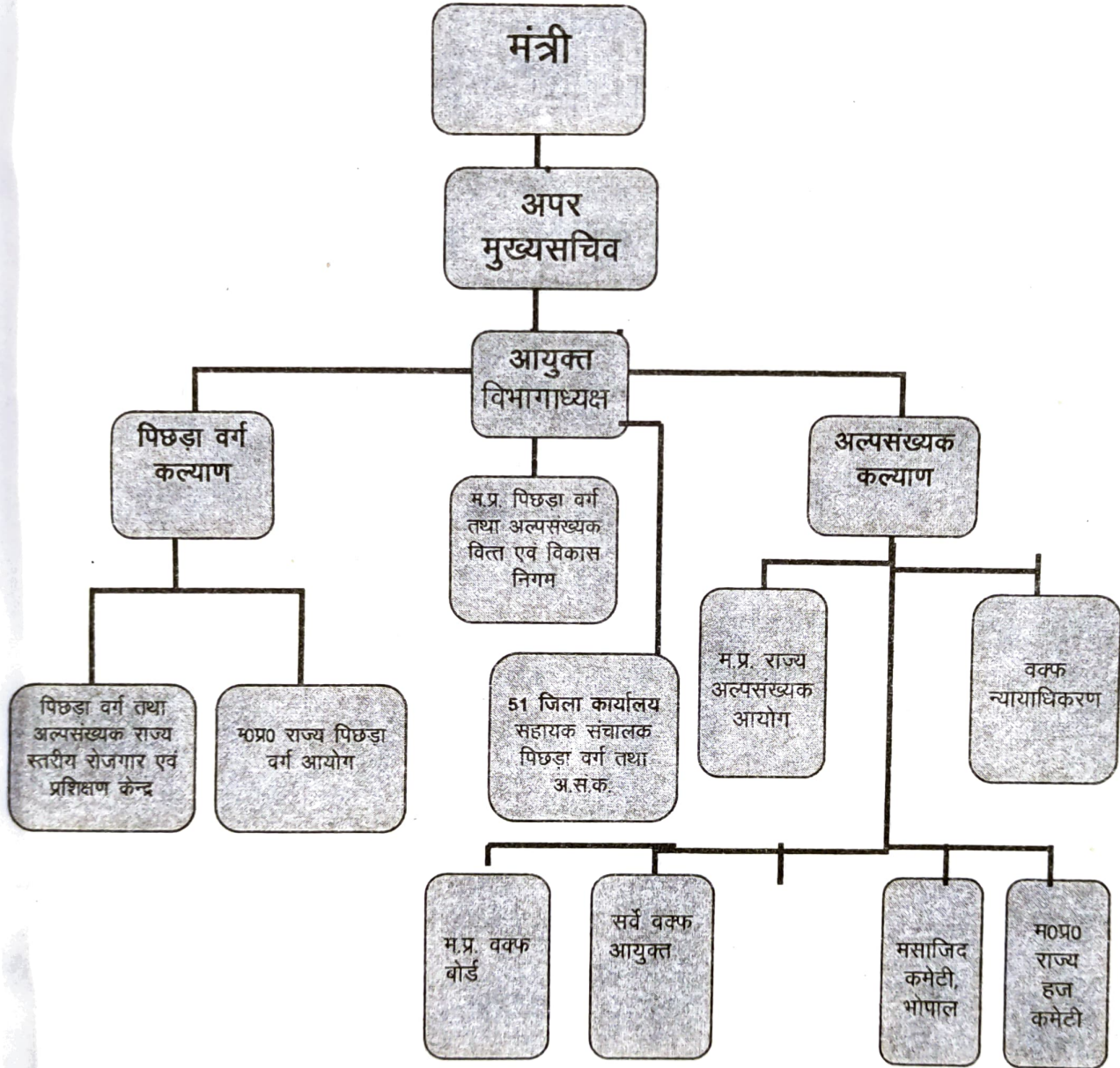
क्रमांक	विवरण
	विभाग की प्रशासकीय संरचना
1.	भाग-एक सामान्य:
1.1.	संक्षिप्त जानकारी
1.2.	विभागीय संरचना
1.3.	अधीनस्थ कार्यालय
1.4.	विभाग के दायित्व
2.	भाग -दो बजट विहंगावलोकन वर्ष 2016-17
3	भाग - तीन विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ
3.1	पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाएँ
3.2.	अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ
3.3.	अभिनव योजनाएँ
4.	भाग-चार विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण
5.	भाग- पांच सामान्य प्रशासनिक विषय
6.	भाग-छः प्रकाशन
7.	भाग - सात राज्य की महिला नीति
8.	भाग - 8 कौशल विकास कार्यक्रम

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	—	श्रीमती ललिता यादव,
वर्ष में विभिन्न अवधि में पदस्थ रहे अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	—	श्री राकेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव श्री अशोक कुमार शाह, प्रमुख सचिव डॉ० मनोहर अगनानी, सचिव श्री सचिन सिन्हा, सचिव श्री रमेश एस थेटे, सचिव (वर्तमान में)
विभागाध्यक्ष	—	श्रीमती उर्मिल मिश्रा
सर्वे वक्फ आयुक्त	—	श्रीमती उर्मिल मिश्रा
उपसचिव	—	श्रीमती मीनाक्षी मालवीय
पीठासीन अधिकारी, म०प्र० राज्य वक्फ अधिकरण भोपाल	—	श्री एम.एस.ए. अंसारी
सचिव, म०प्र० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	—	श्रीमती उर्मिल मिश्रा
सचिव, म०प्र० राज्य अल्पसंख्यक आयोग	—	श्रीमती उर्मिल मिश्रा
प्रबंध संचालक, म०प्र० पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	—	श्री टी०डी० पटेल
संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल	—	श्री टी०डी० पटेल
मुख्यकार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड	—	श्री एस.के. फारुकी
सचिव एवं कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य हज कमेटी	—	श्री दाऊद अहमद खान

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

विभाग की प्रशासकीय संरचना



पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण

भाग —एक

सामान्य

1.1— संक्षिप्त जानकारी : —

महाजन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये सर्वप्रथम दिनांक 12.10.1982 को “संचालनालय पिछड़ा वर्ग कल्याण” की स्थापना की गई थी। पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विकास की गति तेज करने की दृष्टि से दिनांक 12 सितम्बर 1995 को राज्य शासन द्वारा पृथक से “पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग” गठित किया गया। मध्यप्रदेश में वर्तमान में कुल 92 जाति/उप जाति/वर्ग समूह पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित हैं। प्रदेश की आबादी में पिछड़ा वर्ग की अनुमानित आबादी लगभग 50.09 प्रतिशत है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का पृथक से गठन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 6-2-1995 द्वारा किया गया तत्पश्चात् उसी विभाग की अधिसूचना दिनांक 12-9-1995 के द्वारा विभाग का पुनर्गठन किया जा कर, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग गठित किया गया।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा 6 धार्मिक समुदायों क्रमशः मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी को प्रदेश में अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्यप्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी मध्यप्रदेश की कुल आबादी का लगभग 8.153 प्रतिशत है।

1.2 विभागीय संरचना :

1.2.1 विभागाध्यक्ष –पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार विभागाध्यक्ष घोषित है—

- (1) आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,
- (2) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,

1.2.2 स्वीकृत पद —

विभागाध्यक्ष कार्यालय:-

आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में वर्तमान में स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

संवर्ग	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
वरिष्ठ आय,ए,एस,	आयुक्त/संचालक	वरिष्ठ आई.ए.एस.	01	01	—
प्रथम श्रेणी	संयुक्त संचालक	15600-39100+7600 ग्रेड पे	01	0	01
	उपसंचालक	15600-39100+6600 ग्रेड पे	01	01	—
	वरिष्ठ लेखाधिकारी	15600-39100+6600 ग्रेड पे	01	01	—
द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	15600-39100+5400 ग्रेड पे	03	03	—
	सहायक अनुसंधान अधिकारी	15600-39100+5400 ग्रेड पे	01	—	01
तृतीय श्रेणी	अधीक्षक	9300-34800+3600 ग्रेड पे	01	01	—
	शीघ्रलेखक-वर्ग 2	9300-34800+3600 ग्रेड पे	01	01	—
	सहा.सांख्यिकीय अधिकारी	9300-34800+3600 ग्रेड पे	01	01	—
	सहा.जनसंपर्क अधिकारी	9300-34800+3600 ग्रेड पे	01	—	01

	कनिष्ठ लेखाधिकारी	5200-20200+2800 ग्रेड पे	01	—	01
	सहायक वर्ग-1	5200-20200+2800 ग्रेड पे	03	02	01
	लेखापाल	5200-20200+2400 ग्रेड पे	02	—	02
	शीघ्रलेखक वर्ग-3	5200-20200+2800 ग्रेड पे	01	—	01
	सहायक वर्ग-2	5200-20200+2400 ग्रेड पे	03	03	—
	सहायक वर्ग-3	5200-20200+1900 ग्रेड पे	10	10	—
	स्टेनो टाइपिस्ट	5200-20200+1900 ग्रेड पे	01	—	01
	वाहन चालक (02पद नियमित एवं 02 पद कार्यभारित)	5200-20200+1900 ग्रेड पे	04	02	02
	वाहन चालक (दैनिक वेतन भोगी)	कलेक्टर दर	01	—	01
	कम्प्यूटर ऑपरेटर (कलेक्टर दर / आऊट सोर्सिंग से)	कलेक्टर दर	04	—	04
चतुर्थ श्रेणी	दफ्तरी	4440-7440+1400 ग्रेड पे	01	01	—
	भृत्य	4440-7440+1300 ग्रेड पे	13	11	02
	भृत्य (दैनिक वेतन भोगी)	कलेक्टर दर	02	02	—
	भृत्य (कलेक्टर दर / आऊट सोर्सिंग से)	कलेक्टर दर	02	—	02

1.2.3 अधिनस्थ कार्यालय:-

सर्वे वक्फ आयुक्त:-

आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के अधीन सर्वे वक्फ आयुक्त भोपाल के कार्यालय के आधीन स्वीकृत भरे रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	प्रथम श्रेणी	सर्वे वक्फ आयुक्त	01	—	01	15600—39100+7600 ग्रेड पे
2.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-2	01	—	01	5200—20200+2400 ग्रेड पे
3.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-3	01	01	—	5200—20200+1900 ग्रेड पे
4.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	01	—	01	4440—7440+1300 ग्रेड पे

राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण):-

विभाग के अंतर्गत मुख्यालय भोपाल में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं रोजगार मूलक विषयों में प्रशिक्षण देने हेतु संचालक पिछड़ा वर्ग राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र का कार्यालय संचालित है। केन्द्र में वर्तमान में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	प्रथम श्रेणी	संचालक	01	01	—	37400—67000+8700 ग्रेड पे
2.	द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	01	01	—	15600—39100+5400 ग्रेड पे
3.	तृतीय श्रेणी	वार्डन	01	01	—	9300—34800+3600 ग्रेड पे
4.	तृतीय श्रेणी	ग्रंथपाल	01	—	01	5200—20200+2800 ग्रेड पे
5.	तृतीय श्रेणी	लेखापाल	01	—	01	5200—20200+2400 ग्रेड पे
6.	तृतीय श्रेणी	सहायक वर्ग-2	01	—	01	5200—20200+1900 ग्रेड पे
7.	तृतीय श्रेणी	स्टेनोटाइपिस्ट	01	—	01	5200—20200+1900 ग्रेड पे
8.	तृतीय श्रेणी	सहायक वर्ग-3	02	01	01	5200—20200+1900 ग्रेड पे
9.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	02	02	—	4440—7440+1300 ग्रेड पे
10.	संविदा	अधीक्षक शिक्षक, वर्ग-2	01	0	01	7000 /—
11.	चतुर्थ श्रेणी	दैनिक वेतन भोगी	06	06	—	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर
12.	चतुर्थ श्रेणी	रसोईया, पानीवाला, फर्राश, चौकीदार, भृत्य	06	04	02	आउटसोर्सिंग के आधार पर

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग :- राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है-

क्र.	आयोग में स्वीकृत पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद	रिक्त पद
1	सचिव	15600-39100+6600	1	—	1
2	उपसंचालक	15600-39100+6600	1	—	1
3	अनुसंधान अधिकारी	15600-39100+6600	1	—	1
4	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800+3600	1	1	—
5	निजसचिव	9300-34800+4200	4	1	3
6	निज सहायक	9300-34800+3600	4	3	1
7	शीघ्रलेखक वर्ग-3	5200-20200+2800	1	1	—
8	प्रोग्रामर	9300-34800+3200	1	—	1
9	लेखापाल	5200-20200+2400	1	—	1
10	अन्वेषक	5200-20200+2400	1	—	1
11	सहायक ग्रेड-2	5200-20200+2400	1	1	—
12	संगणक	5200-20200+2100	1	—	1
13	स्टेनोग्राफिस्ट	5200-20200+1900	2	1	1
14	सहायक ग्रेड-3	5200-20200+1900	1	1	—
1	वाहनचालक (दौवे०भो०)	जिलाध्यक्ष दर पर	4	3	1
2	भृत्य (दौवे०भो०)	जिलाध्यक्ष दर पर	13	11	2
3	चौकीदार (दौवे०भो०)	जिलाध्यक्ष दर पर	1	1	—
4	फर्राश (दौवे०भो०)	जिलाध्यक्ष दर पर	1	1	—

मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग :- राज्य अल्पसंख्यक आयोग के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है-

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	15600-39100 पीबी-3	01	-	1
2.	अनुसंधान अधिकारी	9300-34800 पीबी-2	01	-	-
3.	अनुभाग अधिकारी	9300-34800 पीबी-2	01	-	01
4.	लेखाधिकारी	9300-34800 पीबी-2	01	01	-
5.	निज सचिव	9300-34800 पीबी-2	01	01	-
6.	स्टेनोग्राफर	9300-34800 पीबी-2	01	01	-
7.	सहायक वर्ग-1	5200-20200+2800	01	-	1
8.	सहायक वर्ग-2	5200-20200+2400	02	02	-
9.	सहायक वर्ग-3	5200-20200+1900	04	-	04
10.	वाहन चालक	5200-20200+1900	01	01	-
11.	भृत्य एवं फर्शिश	4440-7440 एस-1	03	02	1
12.	वाहन चालक	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर	01	01	-
13.	भृत्य	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर	01	01	-

म.प्र. राज्य वक्फ अधिकरण हेतु स्वीकृत पद:-

वक्फ अधिकरण में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	प्रथम श्रेणी	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	01	01	—	57700—1230—58930—1380—672—1540—70290
2	राज्य प्रशासनिक सेवा	सदस्य	01	01	—	15600—39100+7600 ग्रेड पे
3	मुस्लिम विधि शास्त्री	सदस्य	01	01	—	मानदेय पर
4	तृतीय श्रेणी	शीघ्र लेखक	01	—	01	5200—20200+2800 ग्रेड पे
5	तृतीय श्रेणी	लेखापाल	01	01	—	5200—20200+2400 ग्रेड पे
6.	तृतीय श्रेणी	प्रस्तुतकार	01	01	—	5200—20200+2100 ग्रेड पे
7	तृतीय श्रेणी	निष्पादन लिपिक	01	01	—	5200—20200+1900 ग्रेड पे
8	तृतीय श्रेणी	साक्ष्य लेखक	01	01	—	5200—20200+1900 ग्रेड पे
9	तृतीय श्रेणी	प्रतिलिपिकार	01	01	—	5200—20200+1900 ग्रेड पे
10	चतुर्थ श्रेणी	आदेशिका लेखक	01	01	—	5200—20200+1900 ग्रेड पे
11	चतुर्थ श्रेणी	आदेशिका वाहक	01	—	01	4440—7440+1300 ग्रेड पे
12	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	02	01	01	4440—7440+1300 ग्रेड पे
13	चतुर्थ श्रेणी	चौकीदार सह फर्राश	01	01	—	4440—7440+1300 ग्रेड पे
14	चतुर्थ श्रेणी	वाहन चालक (कलेक्टर दर)	01	01	—	जिलाध्यक्ष दर पर
15	संविदा	सहायक वर्ग-3	02	—	02	रू. 8000/-प्रतिमाह
16	संविदा	भृत्य	02	—	02	रू. 5000/-प्रतिमाह

जिला कार्यालयों हेतु स्वीकृत पद:-

पिछड़ा वर्ग कल्याण अंतर्गत वर्ष 2012-13 से विभाग के नवीन जिला कार्यालय स्थापित किये गये तथा प्रत्येक जिले में सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को कार्यालय प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारी घोषित किया गया है। जिला कार्यालय हेतु स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	संवर्ग	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	51	26	25	15600-39100+5400 ग्रेड पे
2.	तृतीय श्रेणी	निरीक्षक	51	43	08	9300-34800+3600 ग्रेड पे
3.	तृतीय श्रेणी	कनिष्ठ लेखाधिकारी	51	19	32	5200-20200+2800 ग्रेड पे
4.	तृतीय श्रेणी	लेखापाल	50	04	46	5200-20200+2400 ग्रेड पे
5.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-2	51	28	23	5200-20200+2400 ग्रेड पे
6.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-3	51	47	04	5200-20200+1900 ग्रेड पे
7.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	51	24	27	4440-7440+1300 ग्रेड पे
8.	तृतीय श्रेणी	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	50	50	-	कलेक्टर दर पर (आऊट सोर्सिंग से प्रति जिला 1 पद)
9.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य/फर्राश कम चौकीदार	100	40	60	कलेक्टर दर पर (आऊट सोर्सिंग से प्रति जिला 2 पद)

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएँ :

विभाग के अंतर्गत निम्न मण्डल/उपक्रम/संस्थाएँ स्थापित हैं-

1. मण्डल/उपक्रम - म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम.

2. संस्थाएँ -

1. मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
2. राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल
3. मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग
4. मध्यप्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण
5. मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड
6. मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी
7. मसाजिद कमेटी, भोपाल
8. सर्वे वक्फ आयुक्त भोपाल

1.4 विभाग के दायित्व :-

1.4.1 पिछड़ा वर्ग कल्याण (दिनांक 12-9-95 को अधिसूचित) :

1. पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण कार्यक्रम
2. लोक सेवा, निगमों तथा विभिन्न आयोगों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
3. शैक्षणिक संस्थाओं में तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
4. पिछड़े वर्गों को अन्य सुविधाएँ
5. मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कार्य
6. मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से संबंधित कार्य
7. पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियाँ

1.4.2 अल्पसंख्यक कल्याण :

1. वक्फ और उससे संबंधित विषय.
2. अल्पसंख्यकों के लिये 15 सूत्रीय कार्यक्रम.
3. अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित विषय.
4. राज्य के लिये हज समिति तथा भूतपूर्व भोपाल रियासत की मसाजिद समिति से संबंधित विषय.
5. अल्पसंख्यकों से संबंधित शेष समस्त विषय.

भाग-दो

बजट प्रावधान विहंगावलोकन (एक दृष्टि में) 2016-2017

बजट भद

प्रावधान (रूपये लाख में)

अ पिछड़ा वर्ग कल्याण :

(1) आयोजनेत्तर	4870.09
(2) आयोजना	88890.85
योग :	<u>93760.94</u>

क्र.	नाम योजना	बजट प्रावधान (राशि रु. लाख में)	31 दिसम्बर, 2017, तक व्यय
1	2	3	4
(अ)	2225-आयोजनेत्तर :		
(1)	जिला तथा परियोजना प्रशासन	1474.01	897.13
(2)	निर्देशन और प्रशासन	291.98 *0.20	161.39
(3)	राज्य छात्रवृत्ति- (योजना स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित)	2700.00	2700.00
(4)	परिचय पत्र का प्रदाय	7.00	0.00
(5)	राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र भोपाल	105.87	48.09
(6)	रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार	66.00	0.00
(7)	मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	220.22	82.52
(8)	सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	5.01	0.00
	योग - 2225 आयोजनेत्तर	4870.09	3889.13
(ब)	2225-आयोजना :		
(1)	आश्रम/ छात्रावास	800.00	475.06
(2)	छात्रगृह योजना	191.78	32.03
(3)	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	58602.20	13839.66
(4)	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)	10047.00	188.43
(5)	प्रावीण्य छात्रवृत्ति	16.00	0.00

(6)	उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति	400.00	400.00
(7)	छात्रवृत्ति फार्मों का मुद्रण	100.00	79.24
(8)	विभागीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार	15.00	12.66
(9)	पिछड़ा वर्ग समुदायों का अनुसंधान एवं मूल्यांकन	10.00	0.00
(10)	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना	2500.00	2500.00
(11)	राज्य छात्रवृत्ति (योजना स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित)	12343.26	11108.93
(12)	जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना	916.64	430.54
(13)	बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	2000.00	1800.00
(14)	म0प्र0 पिछड़ा वर्ग व्यवसायिक प्रतिभा परीक्षा पुरस्कार योजना	5.25	0.00
(15)	संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षा प्रोत्साहन	150.00	147.60
(16)	म0प्र0पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	60.00	0.00
	योग - 2225 आयोजना	88117.13	31014.15
(ब)	4225-आयोजना :		
(1)	म0प्र0 पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	60.00	0.00
(2)	जिला स्तरीय बालक छात्रावास भवन निर्माण (राज्य का हिस्सा) (केन्द्र का हिस्सा)	240.00	240.00
(3)	जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवन निर्माण (राज्य का हिस्सा) (केन्द्र का हिस्सा)	473.72	305.61
	योग - 4225 आयोजना	773.72	545.61
(स)	6225-आयोजना :		
(1)	म0प्र0 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	0.00	0.00
	योग - 6225 आयोजना	0.00	0.00
	योग- 2225 आयोजना+4225 आयोजना + 6225 आयोजना	88890.85	31559.76
	महायोग (आयोजनेत्तर + आयोजना)	93760.94	35448.89

ब अल्पसंख्यक कल्याण

(रु0 लाख में)

(1) आयोजनेत्तर

648.80

(2) आयोजना

1553.02

योग : 2501.82

क्र	विवरण (अ) आयोजनेत्तर	वर्ष 2016-17	31 दिसम्बर 2016 तक व्यय
		बजट प्रावधान राशि रु. लाख में	
1.	वक्फ कमिश्नर का कार्यालय	15.08	1.64
2.	मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग	156.94	55.21
3.	मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल को सहायक अनुदान	99.00	44.55
4.	मसाजिद कमेटी भोपाल को सहायक अनुदान	109.25	49.16
5.	मध्यप्रदेश हज कमेटी को सहायक अनुदान	48.40	21.78
6.	चर्च एवं दरगाह को सहायक अनुदान	40.00	5.00
7.	वक्फ न्यायाधिकरण का गठन	101.50	59.51
8.	पोस्टमैट्रिक अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास	78.63	1.55
	योग:-	648.80	238.40
	(ब) आयोजना		
1.	बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	400.00	360.00
2.	अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार	53.00	0.00
3.	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना	400.00	400.00
4.	मध्यप्रदेश हज कमेटी को हज हाऊस के निर्माण हेतु अनुदान	0.01	0.00
5.	राज्य छात्रवृत्तियां (केन्द्र प्रवर्तित)	30.00	0.00
6.	अल्पसंख्यकों को मदरसा/शिक्षा प्रदान करना	330.00	0.00
7.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र क्षेत्रीय)	25.00	0
8.	मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति (केन्द्र क्षेत्रीय)	15.00	0
9.	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम (केन्द्र क्षेत्रीय)	550.00	471.69
10.	सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य (केन्द्र क्षेत्रीय)	50.00	0.00
	आयोजना योग :-	1853.02	1231.69
	महायोग:-आयोजनेत्तर + आयोजना	2501.82	1502.84

भाग-तीन

विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण अन्तर्गत संचालित प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार है :-

3.1 पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाएँ:-

3.1.1 राज्य योजनाएँ:

(1) राज्य छात्रवृत्ति:-

यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर विद्याध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु (दस माह के लिये) दी जाती है। छात्रवृत्ति का वितरण बैंक के माध्यम से एक किश्त में 31 अक्टूबर तक किया जाता है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं:-

प्रतिमाह दर (दस माह हेतु)

कक्षा	बालक	बालिका
6 से 8	रु0 20.00	रु0 30.00
9 एवं 10	रु0 30.00	रु0 40.00

राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता पिछड़े वर्ग के उन विद्यार्थियों को हैं जिनके अभिभावक आयकरदाता की सीमा में नहीं आते हैं। इसके साथ ही यह लाभ उन परिवार के विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध नहीं होगा जिनके पास दस एकड़ से अधिक भूमि है। वित्तीय वर्ष 2013-14 से यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

वर्ष 2014-15 में स्कूल शिक्षा विभाग को राशि रुपये 12981.01 लाख हस्तांतरित की गई जिसके विरुद्ध राशि रुपये 10468.18 लाख की छात्रवृत्ति राशि 32,47,898 विद्यार्थियों को स्वीकृत की गई तथा वर्ष 2015-16 में कुल राशि रु. 14936.00 लाख का प्रावधान किया जाकर राशि रुपये 14936.00 लाख की राशि स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है, जिसके विरुद्ध कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 34.06 लाख विद्यार्थियों को राशि रु. 11038.70 लाख की राशि राज्य छात्रवृत्ति तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल राशि रु. 15043.26 लाख का प्रावधान किया गया है तथा राशि रु. 13808.93 लाख की राशि स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है। जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक 32.20 लाख विद्यार्थियों को राशि रु. 12872.80 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।

(2) पोस्ट -मैट्रिक छात्रवृत्ति:-

यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11 वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जाती है। पात्रता उन विद्यार्थियों को है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से रु. 75,000 से कम हो। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है एवं समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का बजट प्रावधान राज्य छात्रवृत्ति मद अंतर्गत किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-12-01/11/54-1 दिनांक 12-12-2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम 2003 में आंशिक संशोधन कर संशोधित नियम 2013 जारी किये गये हैं। जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं :-

1. छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए संबंधित विद्यार्थी की संबंधित शिक्षण संस्था में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इस आशय का स्पष्ट प्रमाणपत्र संस्था के प्राचार्य द्वारा संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति का वितरण आनलाइन, नियमानुसार एवं पात्रतानुसार की जाती है।
2. छात्रवृत्ति का वितरण पूर्णतः शिक्षण शुल्क एवं अन्य व्यय सहित आनलाइन विद्यार्थियों के नाम के एकल बैंक खाते में किया जायेगा।
3. कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वीं के विद्यार्थियों की पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण का दायित्व वित्तीय वर्ष 2013-14 से स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है जिनकी छात्रवृत्ति का भुगतान पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना मद में किए गए प्रावधान से किया जाता है। अतएव कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वीं के छात्रों को छोड़कर पोस्टमैट्रिक कक्षाओं के शेष छात्रों का भुगतान पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बजट प्रावधान से किया जाएगा।
4. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की औसत 75 प्रतिशत वार्षिक उपस्थिति एवं वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पुष्टि के पश्चात् ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावे। छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने के पूर्व स्वीकृत पाठ्यक्रम की मान्यता, वास्तविक विद्यार्थियों के प्रवेश संस्था की मान्यता का पूर्ण परीक्षण कर लिया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी (बीमारी आदि की स्थिति को छोड़कर) संबंधित कोर्स की परीक्षा में अनिवार्य रूप से प्रवेश लेवें तथा विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन के उपरांत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान आनलाइन विद्यार्थियों के नाम के एकल बैंक खाते में संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा किया जावेगा।
5. म.प्र.शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 1038/1374/2016/54-1, दिनांक 5/10/2016 के द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ही मान्य की जाए जो कि वर्तमान में रुपये 1.00 लाख वार्षिक निर्धारित है। ऐसी छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने पर अतिरिक्त व्यय भार की पूर्ति भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से की जाएगी।

छात्रवृत्ति की रकम में अनुरक्षण व्यय, फीस तथा अनुमोदित अध्ययन दौरे तथा शोध प्रबंध के मुद्रलेखन तथा मुद्रण पर होने वाले व्यय शामिल है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :-

अनुरक्षण भत्ता :-

अनु.	समूह	भरण पोषण भत्ते की दर (रु प्रति माह) राशि रुपए			
		छात्रावास में रहने वाले		छात्रावास में न रहने वाले	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	2	3	4	5	6
	समूह- 1 चिकित्सा (एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां), इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि पशुचिकित्सा तथा संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, विजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर प्रयोग/विज्ञान में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम (एम.फिल, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान सहित वाणिज्यिक पायलट लायसेंस) (हेलीकाप्टर पायलट और मल्टी इंजिन रेटिंग्स सहित) पाठ्यक्रम	425 425	425 425	190 190	190 190
	समूह- 2 अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम.फिल, पीएचडी) तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान सहित) स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 में सम्मिलित नहीं हैं। सभी स्नातकोत्तर, स्नातक स्तर के डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रम।	210 210	220 225	100 100	110 115
	समूह- 3 स्नातक तथा उससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह-1 और 2 में सम्मिलित नहीं हैं)	185 185	195 200	100 100	110 115
	समूह- 4 ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मेट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे 10+2 प्रणाली में कक्षा 11 तथा 12 और इंटरमेडिएट परीक्षा आदि जो "समूह-2" और "समूह-3" में सम्मिलित नहीं है। आई.टी. आई. पाठ्यक्रम, अन्य व्यावसायिक (यदि पढाई करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित अर्हता कम से कम मेट्रिकुलेशन हो)।	185 185	195 200	100 100	110 115

पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2014-15 के 3,76,060 विद्यार्थियों को राशि रुपये 440.05 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत की गई तथा गत वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 939.00 करोड़ का प्रावधान के विरुद्ध 4.04 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि रुपये 477.25 करोड़ स्वीकृत की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल राशि रुपये 686.49 करोड़ का प्रावधान किया जाकर 4.25 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसम्बर, 2016 तक 26,255 विद्यार्थियों को राशि रु. 23.44 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।

(3) **राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र: (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण) भोपाल :-**
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान किन्तु साधनविहीन युवक-युवतियों को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा/कर्मचारी चयन आयोग/प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड/रेल्वे/बीमा क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से दिये जाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ति रुपये 350/- प्रतिमाह, निःशुल्क आवास सुविधा एवं पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तान्त की वरीयता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2015-16 से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियों को भी नियमानुसार प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण आवास सुविधा एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।

केन्द्र की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ—वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रशिक्षण केन्द्र को रुपये 53.07 लाख का आवंटन जारी किया गया था जिसके विरुद्ध केन्द्र द्वारा रुपये 39.33 लाख व्यय किये गये। प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2015-16 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु 117 प्रशिक्षणार्थियों को, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु 62 प्रशिक्षणार्थियों को एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु 12 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करायी गई है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 32 प्रशिक्षणार्थी, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में 18 प्रशिक्षणार्थी एवं साक्षात्कार परीक्षा उपरान्त 09 प्रशिक्षणार्थी राज्य सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर चयनित हुए हैं प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त 07 अन्य प्रशिक्षणार्थी विविध शासकीय सेवाओं में भी चयनित हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रशिक्षण केन्द्र को रुपये 47.97 लाख का आवंटन जारी किया गया था जिसके विरुद्ध केन्द्र द्वारा दिसम्बर, 2016 तक रुपये 18.51 लाख व्यय किये गये। प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2016-17 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु 107 प्रशिक्षणार्थियों को, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु 36 प्रशिक्षणार्थियों को एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु 15 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करायी गई। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 23 प्रशिक्षणार्थी राज्य सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर चयनित हुए हैं। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त 12 अन्य प्रशिक्षणार्थी विविध शासकीय सेवाओं में भी चयनित हुए हैं।

(4) **छात्रगृह योजना: -**

(1) विभागीय छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश पात्रता रखते हों के लिए छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 5 या अधिक के समूह में किराए के भवन में विद्यार्थियों के रहने पर भवन किराया एवं बिजली, पानी इत्यादि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है। विभाग द्वारा तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के छात्रगृहों हेतु सर्व सुविधायुक्त किराए

एके भवन का मासिक किराया कमशः रु. 3000/—, रु. 4000/— एवं रु. 5000/— निर्धारित किया है।

वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 127.17 लाख व्यय किये जाकर 180 छात्रगृह संचालित कर 900 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रु. 100.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 80.12 लाख व्यय की गई तथा छात्रगृह संचालित कर 850 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 151.78 लाख का प्रावधान किया जाकर 1000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक 120 छात्रगृह संचालित कर 604 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाकर राशि रु. 32.03 लाख व्यय की गई।

(2) दिल्ली स्थित उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेशित म.प्र. के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली में भी एक छात्रगृह संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में 21 विद्यार्थी, वर्ष 2013-14 में 16 विद्यार्थी, 2014-15 में 49 विद्यार्थी तथा गत वर्ष 2015-16 में 39 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(5) स्वर्गीय रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार :-

पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछड़े वर्ग के 16 समाजसेवियों को सम्मानित किया जाता है जिसमें 8 महिला एवं 8 पुरुष सम्मिलित होते हैं प्रत्येक समाजसेवी को रुपये एक लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2014-15 में 16 (8 पुरुष एवं 8 महिला) समाज सेवियों का ज्यूरी द्वारा चयन कर वर्ष 2015-16 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2015-16 हेतु 16 (8 पुरुष एवं 8 महिला) समाजसेवियों को ज्यूरी द्वारा चयन कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु राशि रु. 66.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

(6) राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन:-

इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर निम्न तालिका अनुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है :-

क्र.	विवरण	स्वीकृत की जाने वाली राशि रु. में	
		संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग
1.	प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25000	15000
2.	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	50000	25000
3.	साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	25000	10000
	योग:	100000	50000

वर्ष 2014-15 में रुपये 55.00 लाख का प्रावधान किया गया जिसके विरुद्ध रु. 55.00 लाख की राशि जारी कर 298 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 60.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 59.75 लाख की राशि व्यय कर 398

अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 150.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 147.60 लाख की राशि व्यय कर 884 अभ्यर्थियों को लाभांवित किया गया है।

(7) विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति:-

चयनित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/ शोध उपाधि (पी.एच.डी) एवं शोध उपाधि उपरांत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष 5 विद्यार्थियों को योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2012-13 से राज्य शासन द्वारा योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। वर्ष 2014-15 में 15 विद्यार्थियों को रुपये 250.22 लाख की राशि स्वीकृत की गई। गत वर्ष 2015-16 में राशि रु. 300.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 287.20 लाख व्यय किये जाकर 17 विद्यार्थियों (नवीनीकरण सहित) को छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 400.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 16 तक रु. 400.00 लाख व्यय किये जाकर 17 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है।

(8) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना :-

प्रदेश में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में कृषि, उद्योग, व्यवसाय में स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2008-09 से लागू की गई थी। वर्ष 2014-15 से इस योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में समाहित किया गया है। योजना में क्रीमीलेयर की सीमा में आने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम रुपये 20,000 से अधिकतम रुपये 10.00 लाख तक की कार्य योजना स्वीकृत की जा सकती है तथा मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत की 30 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2.00 लाख होगी। परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम रुपये 25,000 प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष 7 वर्षों तक देय होगा। जिला स्तर पर यह योजना सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है तथा प्रतिवर्ष जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2014-15 में 850 हितग्राहियों को लाभांवित किया जाकर राशि रु. 1200.00 लाख व्यय की गई। गत वर्ष 2015-16 में राशि रु. 1500.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 1725 हितग्राहियों को लाभांवित किया जाकर राशि रुपये 1500.00 लाख व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 2500.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक रु. 2500.00 लाख व्यय किये जाकर 1439 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

(9) पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गारंटी) योजना-

पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के कौशल विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत क्रीमीलेयर की सीमा में आने वाले पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है तथा जो म0प्र0 के मूलनिवासी हैं को इस योजना के अंतर्गत विविध रोजगारोन्मुखी विषयों में शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विषय की आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है एवं प्रशिक्षण उपरांत रोजगार/स्वरोजगार में स्थापित करने की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2015-16 से योजना के

कियान्वय हेतु पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के लिए एकीकृत कौशल विकास योजना के नवीन नियम जारी किये गये हैं। योजना के प्रावधान अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु एक वर्ष के आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, एन.एस.डी.सी., नाईलेट, यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के एक वर्षीय रोजगार पाठ्यक्रम शामिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो अपने ही कार्यक्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षणार्थियों को प्लेसमेंट करने में सक्षम हो को भी कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 15.00 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत हुआ जिसके विरुद्ध पिछड़ा वर्ग के कुल 8000 अभ्यर्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया। गत वर्ष 2015-16 में राशि रु. 1500.00 लाख की राशि व्यय की जाकर 8000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 2000.00 लाख का प्रावधान किया जाकर लगभग 8000 अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(10)

पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी छात्रवृत्ति:-

पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी पुरस्कार योजना नियम 2010 लागू किये गए हैं जिसमें जिला स्तर पर इस वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। योजना अंतर्गत कक्षा 10वीं बोर्ड में जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रुपये 5000 एवं कक्षा 12वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रुपये 10000 का पुरस्कार प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार 15 अगस्त अथवा 26 जनवरी को जिला स्तरीय समारोह में दिया जाता है। वर्ष 2014-15 में 200 विद्यार्थियों को लाभांशित कर रुपये 14.10 लाख की राशि व्यय की गई। गत वर्ष 2015-16 में राशि रु. 16.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 200 विद्यार्थियों को लाभांशित कर रु. 15.05 लाख की राशि व्यय की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 16.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 204 विद्यार्थियों को लाभांशित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(11)

व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार योजना:-

व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की गई पीईटी/पीपीटी एवं एमसीए की प्रवेश पूर्व परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पीईटी/पीपीटी एवं एमसीए छात्र-छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमांक रु. 1,00,000, रु. 50,000 एवं रु. 25,000 की राशि पुरस्कार में दिए जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2014-15 में 6 अभ्यर्थियों को राशि रु. 3.25 लाख पुरस्कार के रूप में वितरित की गई तथा गत वर्ष 2015-16 में राशि रु. 5.25 लाख का प्रावधान किया जाकर राशि रु. 2.00 लाख व्यय कर 4 अभ्यर्थियों को लाभांशित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 5.25 लाख का प्रावधान किया जाकर 9 अभ्यर्थियों को लाभांशित करने का लक्ष्य रखा गया है।

3.1.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

(1) जिला स्तरीय पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास:-

माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा एवं विधानसभा संकल्प 2010 के बिन्दु क्रमांक 42 के पालन में सभी जिला मुख्यालयों पर 100 सीटर पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास भवनों की स्थापना की जानी है। केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रदेश के जिलों में 100 सीटर बालक पोस्टमैट्रिक छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना था, जिसमें से 48 जिलों में छात्रावास भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष 3 जिलों में छात्रावास भवन निर्माणाधीन है। वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 385.00 लाख व्यय की गई है। गतवर्ष 2015-16 में राशि रु. 1253.95 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध राशि रु. 269.20 लाख की राशि लोक निर्माण विभाग को कार्य हेतु हस्तांतरित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 240.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक राशि रुपये 240.00 लाख लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तांतरित की गई है।

(2) जिला स्तरीय पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास :-

प्रदेश में पिछड़े वर्ग की अध्ययनरत् कन्याओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास स्वीकृत है। जिनमें से 49 छात्रावास भवन पूर्ण हो चुके हैं, शेष 2 जिलों में छात्रावास भवन निर्माणाधीन है। गत वर्ष 2015-16 में संभागीय मुख्यालय इन्दौर में 500 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास एवं शाजापुर जिला मुख्यालय पर 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है तथा इन्दौर एवं शाजापुर जिले में कन्या छात्रावास भवन निर्माणाधीन है। नवीन जिला आगर मालवा एवं जिला मुख्यालय दमोह हेतु एक-एक 100-100 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 473.72 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक राशि रु. 305.61 लाख लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तांतरित की गई है।

3.2. अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ :-

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से संचालित योजनाये :-

(1) मेरिट कम मीन्स योजना :- भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट कम मीन्स योजना वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत या उससे अधिक हैं तथा स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग में समुदायवार कोटा निर्धारित कर प्रत्येक समुदाय की 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। योजनान्तर्गत छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 1000 एवं गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 500 प्रतिमाह की दर से 10 माह तक अनुरक्षण भत्ता एवं पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में वास्तविक शुल्क अथवा रु. 20000 जो भी कम हो, दिए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित /अनुमोदित राष्ट्रीय स्तर की पात्र संस्थाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को पूरी पाठ्यक्रम फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट विद्यार्थियों द्वारा कुल प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना में कुल 1391 विद्यार्थियों हेतु कुल राशि रु. 415.90 लाख की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 6503 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये गये। वर्ष 2016-17 में भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 1524 (नवीन) विद्यार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। माह दिसम्बर 2016 तक 2196 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को ऑनलाईन फॉरवर्ड किया गया है।

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के नाम पर किया गया है।

(2) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :-

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत प्रदेश के लिए निर्धारित कोटे के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध जैन एवं पारसी) के प्रतिभावान विद्यार्थियों को (जिनके प्राप्तांक 50% या उससे अधिक है तथा स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2.00 लाख से अधिक न हो) उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के समुदायवार पृथक-पृथक कोटा निर्धारित है, जिसमें प्रत्येक समुदाय में 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। योजनान्तर्गत कक्षा 11वीं, 12वीं को रु. 7,000 प्रतिवर्ष एवं कक्षा 11वीं, 12वीं के स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों हेतु रु. 10000 प्रतिवर्ष तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों हेतु रु. 3000 प्रतिवर्ष प्रवेश एवं ट्यूशन फीस दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 380 प्रतिमाह एवं गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 230 प्रतिमाह एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 570 प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 300 प्रतिमाह तथा इसी प्रकार एम० फिल० एवं पी०एच०डी० के छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 1200 प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 550 प्रतिमाह देने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कुल 11509 विद्यार्थियों हेतु कुल राशि रु. 779.11 लाख की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 26246 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये गये। वर्ष 2016-17 में भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 12697(नवीन) विद्यार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। माह दिसम्बर 2016 तक 19656 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को ऑनलाईन फॉरवर्ड किया गया है।

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जा रहा है।

(03) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति :-

भारत सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10 वीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक आय की मेरिट के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए निर्धारित कोटे के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता उन छात्र-छात्राओं को है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 1.00 लाख से अधिक न हो।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कुल 104819 विद्यार्थियों हेतु कुल राशि रुपये 2120.86 लाख की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 91117 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये गये। वर्ष 2016-17 में भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 76139 (नवीन) विद्यार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। माह दिसम्बर 2016 तक 37 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को ऑनलाईन फॉरवर्ड किया गया है।

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जा रहा है।

3.2.1 भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना:-

(3) अल्पसंख्यक बाहुल्य भोपाल जिले का विकास की कार्ययोजना:-

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश में ऐसे जिलों का चिन्हांकन किया गया है जिनमें अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या 25 प्रतिशत या अधिक अथवा 5 लाख से अधिक हो। इस आधार पर मध्यप्रदेश में भोपाल जिले का चयन अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले के रूप में किया गया है एवं भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला भोपाल हेतु रुपये 15.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, स्वीकृत/प्रस्तावित कार्य योजना का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये लाख में)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	3 अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास का निर्माण	360.00	03 छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण, 01 छात्रावास संचालित, 02 छात्रावास वर्ष 2017-18 से संचालन प्रारम्भ होगा।
2	158 (संशोधित) आंगनवाड़ियों के निर्माण	600.00	143 पूर्ण , शेष 15 निर्माणाधीन
3	978 (संशोधित) इंदिरा आवासों का निर्माण	337.50	886 पूर्ण , शेष 92 निर्माणाधीन
4	100 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास	190.00	निर्माणाधीन
5	आई.टी. सेल का गठन	12.50	संचालित

प्रदेश के लिए स्वीकृत कार्य योजना रु. 15.00 करोड़ के विरुद्ध अब तक भारत सरकार द्वारा रुपये 1493.30 लाख की धनराशि प्रदान की गई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रदेश के चार जिलों श्योपुर, बुरहानपुर, खरगौन, महु केन्ट इन्दौर के अल्पसंख्यक बाहुल्य कस्बे चयनित किए गये हैं। इन कस्बों में रुपये 1433.43 लाख की प्राथमरी स्कूल भवन, कौशल विकास भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा तीन 100 सीटर अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास सहकम्प्यूटर केन्द्र, चार क्लास रूम, टायलेट ब्लॉक्स, महाविद्यालय में सेकण्ड फ्लोर का निर्माण आदि योजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं, जो निर्माणाधीन हैं :-

(रूपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	शयोपुर/शयोपुर शहर		बुरहानपुर		खरगौन		महू केन्ट इन्दौर	
		यूनिट	लागत	यूनिट	लागत	यूनिट	लागत	यूनिट	लागत
1	प्राथमरी स्कूल बिल्डिंग	—	—	—	—	—	—	02	39
2	कौशल विकास केन्द्र	01	68.80	01	68.80	01पूर्ण	68.80	01	68.80
3	ऑगनबाड़ी	08	65.84	16	132.80	—	—	—	—
4	100 सीटर .कन्या छात्रावास सहकम्प्यूटर केन्द्र	01	279.04	01	279.04	01	279.04	—	—
5	क्लास रूम शा.उर्दू मिडिल स्कूल लालबाग	—	—	04	21.18	—	—	—	—
6	गल्स हा.से.स्कूल नं.1 में टायलेट का निर्माण	—	—	—	—	01	3.90	—	—
7	शा.पी.जी.कॉलेज में सेकेण्ड फ्लोर का निर्माण	—	—	—	—	01	58.39	—	—
	योग :-		413.68	—	501.82	—	410.13	—	107.80
कुल महायोग राशि रूपये 1433.43 लाख									

3.2.3. राज्य योजनाएँ :-

1 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना :-

प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में कृषि, उद्योग, व्यवसाय में स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2011-12 से लागू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 से इस योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में समाहित किया गया है।

इस योजना में वार्षिक आय रु. 6.00 लाख की सीमा में आने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम रूपये 50,000 से अधिकतम रूपये 10.00 लाख तक की कार्य योजना स्वीकृत की जा सकती है तथा मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत की 30 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2.00 लाख होगी। परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम रूपये 25,000 प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष 7 वर्षों तक देय होगा। जिला स्तर पर यह योजना सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के

माध्यम से क्रियान्वित की जाती है तथा प्रतिवर्ष जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाता है।

योजना में वर्ष 2013-14 में 161 हितग्राहियों को रुपये 200.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया। गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि रु. 300.00 लाख का व्यय किया जाकर 210 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2015-16 में रु. 330.00 लाख की राशि व्यय की जाकर 298 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 400.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक राशि रु. 400.00 लाख व्यय की जाकर 240 हितग्राहियों को अनुदान स्वीकृत किया गया है।

2. मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना :-

अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न सामाजिक संस्थाएँ एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं और योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को तीन मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार देने की योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ की है। प्रत्येक पुरस्कार रुपये 1 लाख का होगा। तीन पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है-

1. **शहीद असफाक उल्लाह खां पुरस्कार**-अल्पसंख्यक वर्ग की उत्कृष्ट समाज सेवा में योगदान के लिए।
2. **शहीद हमीद खां पुरस्कार** -राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने, वीरता एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देने के लिए।
3. **मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार**-साहित्य, कला, रंगकर्म एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु।

वर्ष 2014-15 के लिए 3 समाजसेवियों का ज्यूरी द्वारा चयन कर वर्ष 2015-16 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए भी 3-3 अल्पसंख्यक वर्ग के समाजसेवियों को पुरस्कृत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

3. **अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गारंटी) योजना** :-गत वर्ष 2015-16 में पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के लिए एकीकृत कौशल विकास योजना के नवीन नियम जारी किये गये हैं। योजना के प्रावधान अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु एक वर्ष के आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, एन.एस.डी.सी., नाईलेट, यू.जी.सी. द्वारा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के एक वर्षीय रोजगार पाठ्यक्रम शामिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो अपने ही कार्यक्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षणार्थियों को प्लेसमेंट करने में सक्षम हो को भी कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 3.00 करोड़ व्यय की जाकर 2000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2015-16 में राशि रु. 3.00 करोड़ की राशि व्यय की जाकर 2000 अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 400.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध रु. 360.00 लाख की राशि व्यय की जाकर 2000 अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

3.3 अभिनव योजनाएं

- विभाग अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 से विभाग के राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ 50 अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को भी मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभाग के राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में 50 सीटर पोस्टमैट्रिक अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास भी इस वर्ष से संचालित किया जा रहा है।
- केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत संभागीय मुख्यालय इन्दौर में 500 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास एवं जिला शाजापुर में 50 सीटर कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कराया जा रहा है। नवीन जिला आगर मालवा में भी 100 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास तथा 100 सीटर पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास निर्माणाधीन है एवं जिला मुख्यालय दमोह में 100 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई है।

भाग-4

विभाग द्वारा संचालित आयोग / निगम / उपक्रम / संस्थाएं

4.1 म0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

4.1.1 गठन :-म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया ।

4.1.2 आयोग के दायित्व:-

आयोग के अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार आयोग के निम्न कार्य है -

म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम की धारा 9 अंतर्गत आयोग के कृत्य निर्धारित किए गए हैं। जिसके अनुसार आयोग के मुख्य कार्य पिछड़े वर्गों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा, लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में सलाह देना, पिछड़े वर्गों की सूची में जातियों को सम्मिलित एवं विलोपित करने के संबंध में राज्य शासन को अनुशंसा करना, पिछड़े वर्गों को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का हित संरक्षण का कार्य करना एवं राज्य सरकार को क्रीमीलेयर के संबंध में सलाह देना है।

वर्तमान में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त है। आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, आयोग के पदेन शासकीय सदस्य हैं।

4.1.3 आयोग के द्वारा किए कार्य:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर, 2016 तक कुल एक बैठक हुई ।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिसम्बर, 2016 तक कुल 111 शिकायते प्राप्त हुई जिनमें से 22 निराकृत एवं 89 चलन में है।

4.1.4 बजट:-

गत वर्ष 2014-15 में आयोग को कार्यों के लिए रुपये 111.94 लाख का आवंटन दिया गया था जिसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 88.73 लाख व्यय की गई। वर्ष 2015-16 में कुल आवंटन राशि रुपये 178.25 लाख प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध रुपये 88.80 लाख का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 220.22 लाख का प्रावधान किया जाकर दिसम्बर, 2016 तक रु. 87.06 लाख का व्यय किया गया है।

4.2 म0प्र0 राज्य अल्पसंख्यक आयोग:-

म.प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996, दिनांक 23-10-96 से प्रभावशील है। इस अधिनियम के अन्तर्गत नए आयोग का गठन उसी दिनांक से हो गया है। आयोग का मुख्यालय भोपाल है।

4.2.1 आयोग का दायित्व :-

1. अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिये भारत के संविधान में, राज्य में विधियों में उपबंधित किए गए विविध सुरक्षा उपायों के कार्यक्रमों की निगरानी तथा समीक्षा करना।
2. राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
3. सुरक्षा उपायों तथा विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सिफारिश करना।
4. अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना और ऐसी शिकायतों को समुचित प्राधिकारियों तक पहुंचाना।

आयोग में अशासकीय सदस्यों के रूप में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष और चार सदस्यों के पद रिक्त हैं।

4.2.2 आयोग के द्वारा किए गए कार्य :-

अधिनियम 1996 के तहत माह अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 के मध्य 60 शिकायतों पर अल्पसंख्यक आयोग द्वारा कार्यवाही की गई। आयोग के पदाधिकारियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं, उनसे जुड़े मामलों की जांच के लिए विभिन्न जिलों में भ्रमण किया गया है। आयोग के पदाधिकारियों ने इस अवधि में अल्पसंख्यक बाहुल्यता वाले जिलों व क्षेत्रों का दौरा कर अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मामलों के निराकरण तथा साम्प्रदायिक सदभाव, शांति व्यवस्था आदि बनाये रखने के उपयुक्त प्रयास तथा इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अल्पसंख्यक वर्गों के हितार्थ किया गया है।

4.2.3 बजट:-

वर्ष 2014-15 में कुल रु. 122.76 लाख का बजट प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध राशि रु. 99.81 लाख की राशि व्यय की गई है। वर्ष 2015-16 में कुल रु. 155.08 लाख का बजट प्रावधान हुआ जिसके विरुद्ध राशि रु. 93.28 लाख व्यय की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 156.94 लाख का प्रावधान किया गया है। दिसम्बर, 2016 तक राशि रु. 55.20 लाख का व्यय किया गया है।

4.3 मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम -

4.3.1 निगम की स्थापना एवं उद्देश्य:-

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन वर्ष 1994 में कंपनी अधिनियम-1956 की धारा-25 के अंतर्गत हुआ है जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्र. 10-08670 दिनांक 29-09-1994 है। निगम एक अलाभकारी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

4.3.2 निगम की प्रशासकीय संरचना :-

वर्तमान में निगम में कुल 23 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध 18 अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/संविदा पर कार्यरत है। निगम के संचालक मण्डल में वर्तमान में 02 अशासकीय एवं 09 शासकीय सदस्य है। वर्ष 2015-16 में म.प्र.शासन द्वारा निगम में 01 अध्यक्ष एवं 01 उपाध्यक्ष के पद पर अशासकीय सदस्य नियुक्त किये गये है। निगम में अध्यक्ष पद पर माननीय श्री प्रदीप पटेल द्वारा दिनांक 29-1-2016 एवं माननीय उपाध्यक्ष श्री एस.के. मुद्दीन द्वारा दिनांक 25-1-2016 को पदभार ग्रहण किया जा चुका है।

4.3.3 मंत्री-परिषद की स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय निगमों की समझौता योजनांतर्गत 5 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज की छूट प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा निगम को ऋण के रूप में राशि रु. 36 करोड़ उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय निगमों की भुगतान की जाने वाली ओवरड्यू राशि (मूलधन एवं ब्याज) का जुलाई, 2014 तक चार किस्तों में भुगतान किया जावे। उक्त के परिप्रेक्ष्य में चार किस्तों में राशि रुपये 3558.18 लाख प्राप्त हुये हैं, जिसमें निगम द्वारा वसूली की राशि मिलाकर कुल राशि रु. 36.00 करोड़ का भुगतान दिनांक 30-9-2015 को किया जा चुका है। राष्ट्रीय निगमों की ओवरड्यू राशि का भुगतान करने के पश्चात दिनांक 1-4-2012 के पश्चात राष्ट्रीय निगमों की शेष अतिदेय राशि रु. 447.98 लाख का भुगतान किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय निगमों को कोई भी राशि देना शेष नहीं है। प्राप्त कुल ऋण राशि रुपये 4879.08 लाख के विरुद्ध अब तक राष्ट्रीय निगमों को राशि रुपये 2328.75 लाख भुगतान की जा चुकी है। जो कि वसूली राशि का 47.73 प्रतिशत है।

4.3.4 वसूली की कार्ययोजना :-

ऋण वसूली हेतु एक मुश्त समझौता योजना का प्रावधान- निगम द्वारा हितग्राहियों से वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना बनाकर ऋण राशि की वसूली के प्रयास निरंतर जारी रखे जावे। उक्त संबंध में राष्ट्रीय निगमों द्वारा दाण्डिक ब्याज की छूट के अनुसार हितग्राहियों से मूलधन ही वसूल की जा रही है। मंत्री-परिषद के आदेश के संबंध में निगम की वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना तैयार कर विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति हेतु समझौता योजना तैयार कर विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। म.प्र.शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक यू.ओ.कं.571/आर-811/बी-6/15, दिनांक 19-10-15 के द्वारा एक मुश्त समझौता योजना की स्वीकृति प्रदाय की गई।

4.3.5 राष्ट्रीय निगमों की योजनाएं :-

शासन स्तर पर विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयानुसार राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं के स्थान पर राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक योजनाओं का क्रियान्वयन निगम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय निगमों को वर्ष 2012-13 कोई एक्शन-प्लान प्रेषित नहीं किया गया है।

4.3.6 वर्तमान में निगम द्वारा संचालित योजनाएं एवं उपलब्धियाँ -

विभाग द्वारा निगम के माध्यम से वर्ष 2013-14 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 से उक्त योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष योजना में शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं। वर्ष 2014-15 में 1060 एवं गतवर्ष 2015-16 में 1250 हितग्राहियों का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिसम्बर, 2016 तक 1679 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

4.3.7 निगम के लेखों से संबंधित जानकारी:-

निगम के वर्ष 2008-09 तक के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों को विधानसभा पटल पर रखा जा चुका है। वर्ष 2009-10 के अंकेक्षित लेखा प्रतिवेदन, महालेखाकार ग्वालियर को भिजवाये गये हैं। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2011-12 तक के प्रावधिक लेख तैयार किये जा चुके हैं।

4.3.8 बजट :-

वर्ष 2014-15 में विभाग द्वारा निगम को रु. 50.00 लाख की अंशपूंजी एवं रु. 50.00 लाख का स्थापना अनुदान एवं गत वर्ष 2015-16 में रु. 60.00 लाख की अंशपूंजी एवं रु. 60.00 लाख का स्थापना अनुदान दिया गया है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य शासन द्वारा रु. 60.00 लाख की अंश पूंजी एवं रु. 60.00 लाख स्थापना अनुदान स्वीकृत किया गया है।

4.4 म0प्र0 वक्फ बोर्ड :-

4.4.1 बोर्ड का गठन एवं उद्देश्य:- मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड राज्य की समस्त वक्फ संपत्तियों के अनुरक्षण नियंत्रण और प्रशासन का कार्य करता है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013, 1 नवम्बर, 2013 से लागू किया गया है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के लागू होने से पूर्व, वक्फ एक्ट 1995, की धारा-14 के अन्तर्गत 5 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया जाकर दिनांक 5/12/2013 को अधिसूचना क्र. एफ04-04/2013/54-2, दिनांक 4-12-2013 जारी की गई है। धारा-23 के अंतर्गत इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यरत है। मध्यप्रदेश में स्थित वक्फों के प्रबंध, सुरक्षा एवं विकास के कार्यों को संचालित करने के उद्देश्य से बोर्ड की सहायता हेतु वक्फ अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्त है।

म0प्र0 वक्फ बोर्ड के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लगभग 14864 वक्फिया सम्पत्ति पंजीकृत हैं जिनमें लगभग 5501 कब्रस्तान, 4231 मस्जिदें, 3431 दरगाहें, 575 ईदगाह, 41 शालाएं, 46 दारुल उमूल/मदरसे एवं अन्य वक्फ सम्मिलित हैं, साथ ही 5791.143 हैक्टेयर कृषि भूमि भी स्थित है।

4.4.2. वक्फ बोर्ड की योजनाएँ :-

वक्फ बोर्ड के द्वारा वक्फों की सुरक्षा, उन्नति एवं विकास के लिए मुख्य रूप से निम्नांकित कार्य किए जाते हैं :-

- (1) वक्फिया जायदादों पर निर्माण कार्य, जैसे स्थानीय आवश्यकता अनुसार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक भवन, मुसाफिर खाना, इत्यादि का निर्माण करना।
- (2) वक्फों के विकास की जिला स्तरीय योजनाएँ, जैसे वक्फ की खुली भूमि एवं भवन में बैंक ए.टी.एम., टी.वी., रेडियो टावर तथा पेट्रोल पम्प आदि की स्थापना करना।
- (3) वक्फों के विकास के लिये सेमिनार का आयोजन।
- (4) वक्फ सम्पत्तियों की विडियोग्राफी, ताकि वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हो सके।
- (5) छात्रवृत्ति एवं मेरिट अवार्ड प्रदान किया जाना।
- (6) केन्द्र शासन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित वक्फ रिकार्ड कम्प्यूटराइजेशन का कार्य एवं संचालित वक्फ बोर्ड के सशक्तिकरण से संबंधित कार्य।

4.4.3. वक्फ बोर्ड की उपलब्धियाँ :-

1. वक्फ जायदादों पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतों पर बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा-54 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। विगत वर्षों में 4168 प्रकरण दर्ज किये जाकर कब्जाधारियों को धारा-54 के अंतर्गत नोटिस जारी किये गये हैं। इनमें से 1082 प्रकरणों में बेदखली के निर्णय लिये जाकर 321 से अधिक प्रकरण धारा-55 की कार्यवाही हेतु संबंधित एसडीएम को भेजे गये हैं। 09 प्रकरणों से अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। वर्तमान में 3086 प्रकरण लंबित हैं। वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के उपरान्त धारा-54 के अंतर्गत वक्फिया सम्पत्तियों के कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्यवाही को सशक्त कर दिया गया है। तथा 01 प्रकरण मध्यप्रदेश राज्य अधिकरण को धारा-54(4) के अंतर्गत भेजे गये हैं तथा वर्ष 2016 में 37 प्रकरण दर्ज किये गये हैं इस प्रकार कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या 4205 है।
2. केन्द्र शासन, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित वक्फ रिकार्ड कम्प्यूटराइजेशन योजना अंतर्गत म.प्र. वक्फ बोर्ड के रिकार्ड कम्प्यूटराइजेशन हेतु वामसी (वक्फ मैनेजमेन्ट सिस्टम ऑफ इण्डिया) ऑन लाईन माड्यूल में डाटा एन्ट्री का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है। वक्फ रिकार्ड का वामसी डी.एम.सी. के माध्यम से डिजिटलीजेशन हो चुका है। वामसी रजिस्ट्रेशन माड्यूल में 23512 रिकार्ड मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान आदि के रूप में रिकार्ड किये जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त 237 चल सम्पत्तियाँ फीड की गई हैं। केन्द्रीय सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गये अन्य माड्यूल्स जैसे लीजिंग माड्यूल में 134, रिटर्न फाइलिंग माड्यूल में 741 एवं लिटीगेशन माड्यूल में 3330 (internal+ external case) प्रकरणों की जानकारी फीड की जा चुकी है।
3. बोर्ड द्वारा वक्फों के प्रबंध हेतु कमेटियों के कार्य में गति लाई गई है तथा बोर्ड ने जिला वक्फ कमेटियों के गठन की प्रक्रिया को आसान करते हुए अब तक समस्त जिलों में वक्फ कमेटियों का गठन कर दिया गया है।
4. बोर्ड द्वारा 5 लाख रुपये से अधिक आय वाली सम्पत्तियों के उचित प्रबंध, आय में वृद्धि एवं सुरक्षा की दृष्टि से वक्फ एक्ट की धारा 38 के अंतर्गत कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की

गई है। जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं तथा वक्फों की कृषि भूमि की सुरक्षा तहसीलदारों द्वारा कराई जा रही है। जिससे कृषि भूमि सुरक्षा एवं आय में वृद्धि हुई है। वक्फ अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप वक्फ सम्पत्तियों की किराएदारी को पारदर्शी बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वक्फ पट्टा नियम 2015 (संशोधित) बनाये गये हैं। जिसके अनुसार कार्य करने हेतु संबंधित मुतवल्लियों को पाबंद किया गया है।

5. वक्फों के निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया है, तथा नगरीय वक्फिया जायदाद की उन्नति एवं निर्माण हेतु योजनाएं स्वीकृत कराई गई हैं तथा इनके निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। केन्द्र सरकार ने वक्फ सम्पत्तियों के विकास हेतु राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम की स्थापना कर दी गई है जो राज्य शासन के सहयोग से अमल में आया।
6. गत वर्ष 2015-16 में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को चन्दा निगरानी राशि रुपये 1,04,55,209/- प्राप्त हो चुकी है।
7. वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिसम्बर, 2016 तक वक्फ बोर्ड को चन्दा निगरानी राशि रु. 71,95,073/- प्राप्त हुई है।

4.4.4 बजट :-

राज्य शासन द्वारा वक्फ बोर्ड को वार्षिक अनुदान दिया जाता है वर्ष 2012-13 में बोर्ड को राशि रुपये 80.00 लाख एवं वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 80.00 लाख तथा गत वर्ष 2014-15 में राशि रु. 84.60 लाख एवं गतवर्ष 2015-16 में राशि रु. 99.00 लाख का अनुदान दिया गया। शासकीय अनुदान के अतिरिक्त रु. 4,19,290/- की आय प्राप्त हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु राशि रु. 99.00 लाख का प्रावधान किया जाकर दिसम्बर, 2016 तक रु. 44.55 लाख व्यय किये गये हैं।

4.5 सर्वे वक्फ आयुक्त:-

सर्वे वक्फ आयुक्त, राज्य में विद्यमान वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण, राज्य में स्थित वक्फों की संख्या, वक्फों का स्वरूप, उनके उद्देश्य, वक्फ में समाविष्ट संपत्तियों की सकल आय की रिपोर्ट का कार्य कर राज्य शासन को रिपोर्ट देता है। आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को पदेन सर्वे वक्फ आयुक्त घोषित किया गया है। राज्य शासन ने समस्त कलेक्टर्स को विभागीय अधिसूचना क्र० एफ-6-25/2008/54- 2, दि. 4.10.2008 द्वारा सर्वे कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के आदेश जारी किए हैं। समस्त जिला कलेक्टर्स को कार्यालयीन अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/2553/09/दिनांक 01-01-2009 के माध्यम से वक्फ संपत्ति सर्वेक्षण कार्य किस प्रकार किया जाना है तथा जानकारी निर्धारित प्रपत्र जो पुस्तिका के पेज नं. 11-12 पर दिया गया है में किस प्रकार अंकित की जाना है जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों से प्राप्त सर्वेक्षण प्रपत्र जिला स्तर पर एकजाई कर समूचे जिले की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में 15 कालों में ही अंकित कर तीन प्रतियों में समयसीमा में प्राप्त किए जाने हैं। अब तक 31 जिलों का क्रमशः मण्डला बुरहानपुर, छतरपुर टीकमगढ़, दमोह, शिवपुरी, अलीराजपुर, होशंगाबाद, खरगौन, खण्डवा, हरदा, डिण्डोरी, सिवनी, सिंगरौली नरसिंहपुर, झाबुआ, रायसेन इन्दौर धार, देवास, रतलाम, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शाजापुर, बड़वानी, श्योपुर, उमरिया, शहडोल, पन्ना, विदिशा एवं उज्जैन जिलों से वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण की जानकारी प्राप्त हुई है जिनका मिलान म०प्र० वक्फ बोर्ड से कराया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में राशि रुपये

25.16 लाख के प्रावधान के विरुद्ध रु. 2.93 लाख की राशि व्यय की गई है। वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 19.64 लाख का प्रावधान किया जाकर राशि रुपये 2.97 लाख व्यय की गई है। गत वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 11.06 लाख का प्रावधान किया था जिसके विरुद्ध राशि रु. 0.82 लाख किये गये हैं तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 15.08 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक रु. 1.64 लाख व्यय किये गये हैं।

4.6 मध्यप्रदेश हज कमेटी :

4.6.1 हज कमेटी का गठन एवं कार्य :-

म0प्र0 स्टेट हज कमेटी का गठन हज अधिनियम 2002 (क. 35) की धारा 17(1) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किया गया है। म.प्र. राज्य हज कमेटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय हज कमेटी, मुम्बई एवं विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीनस्थ कार्य करती है। राज्य शासन के आदेश दिनांक 5 अगस्त 2014 द्वारा 12 सदस्यों को हज कमेटी नामित की गई। गठित समिति का कार्यकाल 3 वर्ष के लिये है। प्रतिवर्ष हज के लिये जाने वाले यात्रियों को भेजने एवं समस्त व्यवस्था का उत्तरदायित्व इस कमेटी का है।

4.6.2 वर्ष 2014 में प्रदेश से कुल 3248 हज यात्री हज पर भेजे गये हैं तथा शासकीय व्यय पर 12 खादिमुल हुज्जाज हाजियों की सेवाओं के लिये सऊदी अरब भेजे गये। हज वर्ष 2015 में मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी के माध्यम से कुल 3018+3 हज यात्रियों को सफलता पूर्वक हज यात्रा पर भेजा गया था तथा वर्ष 2016 में कुल 2878+6 हज यात्रियों को सुविधापूर्वक हज पर भेजा गया तथा सफलतापूर्वक हज यात्रा सम्पन्न हुई।

इस वर्ष हज यात्रियों की सहायता हेतु शासकीय व्यय पर 13 खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) को हाजियों की सेवा सहायता के लिए सऊदी अरब भेजा गया था।

4.6.3 हज यात्रियों की सुविधा हेतु मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों की देखभाल हेतु सऊदी अरब भेजे जा रहे खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) के फोटों एवं मोबाइल नम्बर युक्त कार्ड समस्त हज यात्रियों की उपलब्ध कराए गए तथा हज के पूरे 43 दिन के कार्यकाल के लिए एक 24 घण्टे कॉल सेन्टर भोपाल में स्थापित किया गया। इसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए।

4.6.4 प्रदेश हज यात्रियों की सुविधा हेतु भोपाल एवं इंदौर में हज हाऊस निर्माण की कार्यवाहियां की जा रही हैं। भोपाल में हज हाऊस निर्माण हेतु ग्राम सिंगारचौली में 2.01 एकड़ भूमि पर निर्माण लागत रुपये 6,11,25,000/- से निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा इस वर्ष 2016 की हज यात्रा का संचालन भोपाल में नवनिर्मित हज हाऊस भवन से किया गया है। इस अतिरिक्त इंदौर में हज हाऊस निर्माण हेतु भूमि चयनित कर आवंटन की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

4.6.5 बजट- वर्ष 2014-15 में राशि रु. 41.36 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है। गत वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 48.40 लाख का बजट प्रावधान किया जाकर रुपये 48.40 लाख व्यय किया गया तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 48.40 लाख का प्रावधान किया जाकर दिसम्बर, 16 तक राशि रु. 21.78 लाख व्यय की गई।

4.7

मसाजिद कमेटी-

भोपाल, सीहोर एवं रायसेन जिलों में स्थित मस्जिदों की देखरेख के लिये भूतपूर्व भोपाल रियासत की मसाजिद कमेटी, भोपाल का गठन मर्जर अनुबंध के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किया जाता है। मसाजिद कमेटी द्वारा भोपाल, सीहोर एवं रायसेन की मसाजिद के ईमाम, पेश ईमाम व मोअज्जिनों को मानदेय का भुगतान किया जाता है। मसाजिद कमेटी के अंतर्गत दारुल क़जा, दारुल इफ़ता एवं मदरसा हमीदिया इस्लामिया हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है।

4.7.1

बजट- वर्ष 2013-14 में राशि रु. 70.00 लाख तथा गत वर्ष 2014-15 में राशि रु. 70.50 लाख व्यय की गई है। वर्ष 2015-16 में रु. 133.75 लाख का प्रावधान किया जाकर राशि रु. 133.75 लाख व्यय किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 109.25 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक राशि रु. 49.16 लाख व्यय किये गये हैं।

4.8

म.प्र. राज्य वक्फ न्यायाधिकरण :

4.8.1

वक्फ सम्पत्तियों संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों को त्वरित गति से निपटाने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। वक्फ न्यायाधिकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारी पीठासीन अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। वक्फ अधिकरण में सम्पत्तियों से संबंधित विवादों के बारे में इस न्यायाधिकरण को मूल एवं अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार वक्फ बोर्ड के विरुद्ध अपील पेश कर सकता है। वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में इस अधिकरण का निर्णय अंतिम होता है, जिसके विरुद्ध अपील आदि का प्रावधान नहीं है।

4.8.2

प्रकरणों का निपटारा:- न्यायाधिकरण में वर्ष 1995 से 31-12-2016 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या 4640 है जिसमें से 4260 प्रकरण निराकृत हो चुके हैं तथा 380 प्रकरण निराकरण हेतु शेष हैं।

4.8.3

बजट- वक्फ न्यायाधिकरण को वर्ष 2013-14 में राशि रु. 51.83 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है जिसके विरुद्ध रुपये 41.07 लाख व्यय किये गये तथा वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 47.85 लाख तथा वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 77.65 लाख का प्रावधान के विरुद्ध रुपये 57.00 लाख व्यय किये गये। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 101.50 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक राशि रु. 50.83 लाख व्यय किये गये हैं।

भाग-5
सामान्य प्रशासनिक विषय

महामहिम राज्यपाल का बजट अभिभाषण वर्ष 2015

महामहिम राज्यपाल के बजट अभिभाषण वर्ष 2016 में पिछड़ा वर्ग से संबंधित कोई बिन्दु कार्यवाही किए जाने हेतु शेष नहीं है।

विभागीय पदोन्नतियाँ :-

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग से पृथक नवीन सेवा भर्ती नियम तैयार किये गये हैं तथा नवीन भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी।

विभागीय जांच:- संचालनालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण अंतर्गत श्री दाउद अहमद खान उपसंचालक के विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म0प्र0 वक्फ बोर्ड में पदस्थी अवधि का विभागीय जांच का प्रकरण लंबित है।

नियुक्तियाँ:- विभाग में वर्ष 2016-17 में प्रतिवेदन अवधि में कोई नवीन नियुक्ति नहीं की गई है।

स्थानांतरण:- मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 04-05/2013/54-1, दिनांक 01-07-2016 द्वारा निम्नांकित अधिकारी को स्थानांतरित कर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण जिला देवास एवं उज्जैन (म0प्र0) कार्यालय में पदस्थ किया गया है :-

- (1) श्रीमती सपना खर्ते चौहान, सहायक संचालक को मुख्यालय से जिला देवास कार्यालय में किया गया है।
- (2) श्री बी.एल. रायकवार, सहायक संचालक को जिला देवास से उज्जैन कार्यालय में किया गया है।

विधान सभा संबंधी कार्य:-

प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त सभी विधान सभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण एवं अन्य सूचनाओं के उत्तर विधानसभा को प्रस्तुत किए गए। वर्तमान में विभाग से संबंधित 10 विधानसभा आश्वासनों की पूर्ति लंबित है।

संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक:-

प्रतिवेदन अवधि में गठित संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को सम्पन्न हुई है।

न्यायालयीन कार्य:- अधिकारी एवं कर्मचारियों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या 6 है।

भाग-6

प्रकाशन

विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में कोई प्रकाशन नहीं कराया गया है।

भाग-7

राज्य महिला नीति के अंतर्गत महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं/गतिविधियों की जानकारी

1. पिछड़े वर्ग की कक्षा 6 से 10 तक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वी, 12वी और उससे आगे महाविद्यालयीन/तकनीकी कक्षाओं में उच्च शिक्षा हेतु पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति छात्राओं को भी प्रदान की जा रही है जिसमें लगभग 30 प्रतिशत बालिकाओं को भी लाभांवित किया जाता है।
2. पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये मेधावी पुरस्कार योजना में 50 प्रतिशत महिला लाभार्थी का प्रावधान किया गया है। योजना में इस वर्ष प्रत्येक जिले में 02-02 एवं कुल 100 बालिकाओं को लाभांवित किया गया है।
3. पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना अंतर्गत लगभग 30 प्रतिशत बालिकाओं प्रशिक्षित किये जाने का प्रावधान है।
4. प्रदेश के समस्त जिलों में पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावासों की स्थापना की गई है। जिनमें शतप्रतिशत बालिकाएं लाभांवित हो रही है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं हेतु भारत सरकार की एम.एस.डी.पी. योजनांतर्गत कुल 04 पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भोपाल में स्वीकृत किये गये है जिसमें 01 छात्रावास 100 सीटर एवं शेष 03 छात्रावास 50 सीटर है।
5. वर्ष 2015-16 में 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर जिला मुख्यालय इन्दौर में एक 500 सीटर एवं शाजापुर में एक 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास स्वीकृत किये गये है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में नवीन जिला आगर मालवा एवं दमोह हेतु एक-एक 100 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।
6. विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में गत वर्ष 2015-16 में 5 छात्राओं का चयन किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4 छात्राओं का चयन किया गया है।
7. राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 19, वर्ष 2013-14 में 39, वर्ष 2014-15 में 67, वर्ष 2015-16 में 132 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिसम्बर, 2016 तक 248 महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई।
8. विभाग की 'श्री रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार' में प्रतिवर्ष 8 पुरुष एवं 8 महिलाओं को पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है।
9. विभाग की अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना में प्रतिवर्ष 2 पुरुष एवं 1 महिला समाजसेवी को पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है।
10. अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की प्रीमैट्रिक, पोस्टमैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति अंतर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति में लगभग 30 प्रतिशत राशि छात्राओं को वितरित की जाती है।

भाग-8

कौशल विकास / रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम

- प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु दो पृथक-पृथक योजनाएं संचालित हैं—
 1. पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों की रोजगार प्रशिक्षण योजना।
 2. अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों की रोजगार प्रशिक्षण योजना।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में पिछड़े वर्ग हेतु रुपये 20.00 करोड़ एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु रुपये 4.00 करोड़ का प्रावधान किया गया एवं उपलब्ध प्रावधानों से पिछड़ा वर्ग के लगभग 8,200 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 1600 अभ्यर्थियों को विविध रोजगारोन्मुखी विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग के राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। प्रशिक्षण एवं प्लेसमेन्ट का सत्यापन विभाग के जिलाधिकारियों से कराया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची

क्रमांक	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत गोवारी (ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी महाकुल(राउत) महकुल, गोप ग्वाली, लिंगायत, गोपाल	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति पशुपालन	यादव अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है, अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती हैं व लिखती है, यादव राजपूत इसमें शामिल नहीं है। यह जाति म0प्र0 के इंदौर एवं खंडवा जिलों में निवासरत है।
	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	—
	वैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है, ब्राह्मण जाति के बैरागी शामिल नहीं किये गये हैं।
	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा धरिया, लभाना, लबाना, लामने	घुम्मकड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राह्मण शामिल नहीं है।
	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, चौरसिया	पान उत्पादक व विक्रेता	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं।
	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा)	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है।
	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	—
	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया, कापड़ी, गोंधली, थारवार	विरुदावली गाना एवं बैल भैंसा का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है।
	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी, या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नहीं है.
10	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता पाठ व विरुदावाली का गायन करना	—
11	छीपा, भावसार, नीलगर,	कपड़ों में छपाई व रंगाई	—

	जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव		
12	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/नावड़ा/तुरहा, केवट, (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम) कीर, ब्रितिया(वृत्तिया) सिंगरहा, जालारी, सौंधिया	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना	बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां हैं। इसी रूप में सम्मिलित की गयी है। 2. राजगढ़, गुना, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, इंदौर, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में निवासरत सौंधिया जाति का परंपरागत व्यवसाय कृषि कार्य एवं पशुपालन है। (इसमें राजपूत शामिल नहीं होंगे.)
13	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार,	कृषि एवं कृषि मजदूरी	इसमें पंवार/पवार राजपूत शामिल नहीं
14	भुर्तिया, भुतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	—
15	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राह्मण है. सूची में शामिल किया गया
16	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिये खाद्य पदार्थ तैयार करना है.	—
17	चुनकर, चुनगर, कुलवंध्या, राजगीर	चूना, गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना	—
18	चितारी	दीवारों पर चित्रकारी करना	—
19	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी, (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	—
20	धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्ठी, बरेठा, रजक	कपड़ा साफ करना	धोबी, भोपाल, रायसेन व सीहोर जिले में अनु.जाति में शामिल है।
21	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज व लटेरी तहसील को छोड़कर)	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राह्मण नहीं है. मीणा /मीना सिरोंज तहसील में अनु.जनजाति में घोषित है।
22	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नहीं है।
23	गड़रिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धरिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियाँ अपने को पाल व बघेले भी कहते हैं पाल व बघेले गड़रिया जाति को उपजाति के रूप में

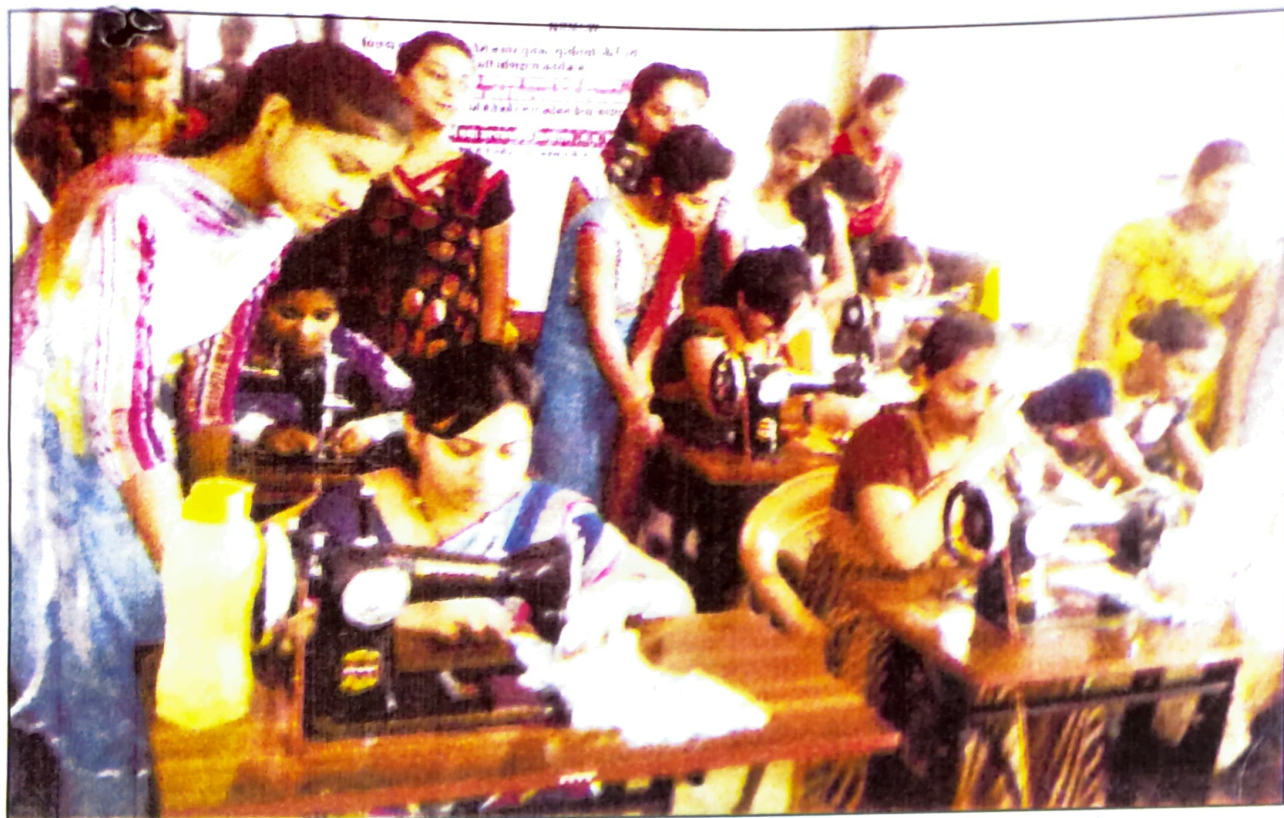
	बघेले)		शामिल किये गये हैं, बघेले राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं है।
24	कडेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोड़ार	कपास की रुई धुनकने का कार्य करना. कडेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते हैं।	—
25	कोष्टा कोष्टी (देवांगन) कोष्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोशकाटी (लिंगायत) गढवाल, गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते हैं।
26	धोली/डफाली/डफली/ढोली, दमामी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिव मंदिरो में पूजा व उपजातियों ढोल बजाने का कार्य करती हैं.	इस समूह में ब्राम्हण समूह शामिल नहीं है।
27	गुसाई, गोस्वामी	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरो में महंती	ब्राम्हण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है।
28	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं हैं.
29	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा)	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राम्हण वर्ग सम्मिलित नहीं है।
30	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते हैं. जोगी व इस समूह की अन्य जातियों धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं।	जोगी धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हण हैं, वे शामिल नहीं हैं
31	घोषी	भैंस पालक व पशुपालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं हैं
32	सोनार, सुनार, झाड़ी (स्वर्णकार) अवधिया औधिया, सोनी (स्वर्णकार)	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढ़ने व बनाने का कार्य करना	इस समूह में सोना-चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं हैं.
33	(अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मोर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर कोहरी	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी कृषि कार्य एवं मजदूरी	कुशवाहा काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति हैं. काछी जाति के शाक्य व मोर्य भी उपजातियां हैं। यह जाति मध्यप्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी जिलों में पाई जाती है.

	(ब) माली(सैनी), मरार, फूलमाली(फूलमारी)	—	कुशवाह राजपूत इसमें शामिल नहीं है।
34	जोशी (भड्डरी) इकोचा, इकोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते हैं, जोशी ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं हैं।
35	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करने कांच की चूड़ियां बेचना	—
36	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर	तांबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना।	—
37	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक,	—
38	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों को छोड़कर)	मिट्टी के बर्तन बनाना	कुम्हार जाति छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल हैं।
39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रानाह, कुंभी गवैल (गमैल) सिरवी	कृषक, कृषि मजदूरी	—
40	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	—
41	कौरव, कांवरे	कृषक	—
42	कलार (जायसवाल) कलाल, इडसेना	मदिरा (शराब) बेचना	—
43	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	—
44	लोनिया, लुनिया, ओड़, ओडे, ओड़िया, नोनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा	नमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना	—
45	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास) म्हाली, नाव्ही, उसरेटे	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना।	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रूप में सम्मिलित की गई हैं।
46	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	—
47	पनका, पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल जिलों को छोड़कर)	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना. बुनकर	पनिका छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी व शहडोल जिलों में जनजाति में शामिल हैं।

48	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े सूत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	—
50	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना	—
51	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को साहू व राठौर कहते हैं। राठौर को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है। राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं।
52	तुरहा, तिरवाली, बड़ड़र	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना	—
53	किसड़ी, कसड़ी	नाच-गाकर मनोरंजन करने वाले	—
54	वोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति कोरकू की उपजाति है। बैतूल जिले की भंवरगढ़ क्षेत्र में निवास करती है।
55	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है। पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थीं	सरगुजा तथा जसपुर क्षेत्र में पाई जाती है।
56	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना	मैनकर की उपजाति निहाल अनुसूचित जनजाति में शामिल।
57	कोटवार कोटवाल (भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोड़कर)	ग्राम चौकीदारी	कोटवाल जाति को भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन, एवं विदिशा जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया।
58	खैरुवा	कथा बनाना	खैरुवा, खैरवार की उपजाति है। खैरवार अनु. जनजाति में शामिल हैं।
59	लोढा(तंवर)	कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन यापन करना	—
60	भोवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जजा
61	रजवार	कृषक, कृषि मजदूर	—

62	अघरिया	कृषक, कृषि मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है।
63	तिऊर, तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बैत का सामान बनाने का कार्य करना	—
64	भारुड़	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना	मुगलकाल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे।
65	सुत सारथी-सईस/सहीस	घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना	—
66	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो तेलगु भाषी है. विशेषकर बस्तर जिले में पाई जाती है।
67	राघवी	कृषि कार्य करना	—
68	रजभर, राजभर	कृषि मजदूरी	—
69	खारोल	कृषि मजदूरी	—
70	विलोपित	—	विलोपित
71	गोलान, गवलान, गौलान	गाय, भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना	—
72	रज्जड़, रजझड़	कृषि मजदूरी	—
73	जादम	कृषि मजदूरी	—
74	दांगी/डांगी	कृषक	राजपूत इस सूची में सम्मिलित नहीं है।
75	गयार/परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं।
76	कुड़मी	कृषक	अधिकतर बैतूल जिले में निवास करते हैं।
77	मेर	कृषि मजदूर	गुना जिले में आबाद है।
78	वया महरा/कौशल, वया	बुनकर	अधिकांशतः दुर्ग जिले में निवास करते हैं।
79	पिंजारा (हिन्दू)	—	—
80	विलोपित	—	—
81	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है.	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे हैं.	अनुजातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया है।
82	आंजना	—	—
83	थोरिया	—	—

84	गोहलोट मेवाड़ा	—	—
85	रेवारी	—	—
86	रूवाला / रूहेला	—	—
87	(1) रंगरेज	कपड़ों की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवहार
	(2) मिश्टी, अब्बासी "सक्का"	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा
	(3) छीपा	कपड़ों में छपाई करना	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवहार
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहतर जाति की तरह कार्य
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	—
	(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवस्था
	(7) मेवाती	कृषि पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दू मेवाती जाति के समान कार्य
	(8) पिंजारा, नद्दाक, बेहना, धुनिया, धुनकर, फकीर, शाह, साई कब्रखोदू	रुई धुनाई का कार्य भिक्षावृत्ति एवं कब्र खोदना	हिन्दुओं में कडेरा जाति के समान
	(9) कुंजड़ा राईन	साग सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग सब्जी का कार्य
	(10) मनिहार	कांच की चूड़ियां व बिसैंत खाने का सामान बेचना	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
	(11) कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोشت बेचने का कार्य	हिन्दू खटीक जाति के समान धंधा
	(12) मिरासी	विरूदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति के तरह पेशा
	(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
	(14) बढ़ई (कारपेन्टर) खरादी कमलीगर	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम लकड़ी पर खरादी का कार्य तथा लाख का कार्य करना	हिन्दू बढ़ई जाति के समान पेशा
	(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दुओं में नाई जाति के समान पेशा करने वाले
	(16) हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	—
	(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के



एकीकृत कौशल विकास प्रशिक्षण योजना वर्ष 2016-17 अंतर्गत भोपाल में गारमेन्ट मेकिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करते पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रशिक्षणार्थी



एकीकृत कौशल विकास प्रशिक्षण योजना वर्ष 2016-17 अंतर्गत भोपाल में आयोजित जॉब फेयर में भाग लेते पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रशिक्षणार्थी



भोपाल में नवनिर्मित हज हाऊस



पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास, जिला रायसेन